



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 209 राँची, सोमवार,

10 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-46/2017-19759 (HRMS)--श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-147/20, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1348, दिनांक 17.03.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-'क' में श्री कुमार के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में लाभुकों की निर्धारित संख्या (लक्ष्य) 81 के विरुद्ध 204 लाभुकों का चयन करना तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में लाभुकों की निर्धारित संख्या (लक्ष्य) 197 के विरुद्ध 296 लाभुकों का चयन करना, जो आदेश की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता का परिचायक है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्धारित लक्ष्य 197 से 99 अधिक लाभुकों के चयन को छिपाने हेतु वर्ष 2010-11 की मूल योजना तथा मूल अभिलेख गायब करना तथा फर्जी योजना पंजी तैयार कर अभिलेखों में हेरफेर करना, जो इनके संदिग्ध आचरण एवं गंभीर अनियमितता का परिचायक है।

3. वर्ष 2010-11 में प्रति इकाई इंदिरा आवास के लिए कर्णांकित राशि 45,000/- रुपये के विरुद्ध योजना पंजी एवं रोकड़ बही के अनुसार 28 लाभुकों को 45,000/- रुपये से अधिक का भुगतान किया गया, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5974, दिनांक 05.05.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 17.05.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12210 दिनांक 14.12.2017 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-108/स्था० दिनांक 19.03.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत संकल्प संख्या-6929(hrms) दिनांक 23.07.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-284 दिनांक 24.06.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-1, 2 एवं 3 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6741, दिनांक 01.11.2021 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 11.02.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-5076(hrms), दिनांक 11.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के समक्ष अपना अपील आवेदन समर्पित किया गया, जो मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2704040, दिनांक 18.08.2022 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील आवेदन के मुख्य तथ्य निम्नवत् हैं-

1. उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-578 दिनांक 20.07.2011 द्वारा रमकण्डा प्रखण्ड हेतु 207 इंदिरा आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके आलोक में उनके द्वारा 204 आवास को स्वीकृत किया गया एवं भुगतान किया गया। पुनः उपायुक्त, गढ़वा के द्वारा पत्रांक 693, दिनांक 02.09.2011 निर्गत किया गया। संशोधित पत्र में वित्तीय वर्ष 2010-2011 में दिये गये वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन करने के संबंध में लिखा गया। उस पत्र में कही भी भौतिक लक्ष्य 81 का जिक्र नहीं है। संशोधित पत्र सहायक नुमान के द्वारा ससमय उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने डी०आर०डी०ए०, गढ़वा से संशोधित पत्र का तामिला प्रतिवेदन की माँग की। लेकिन तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि एक साजिश के तहत उन्हें आरोपित किया गया। पुनः अनुमंडल

पदाधिकारी, रंका के पत्रांक-464, दिनांक 17.05.2016 के पारा (vii) में साफ लिखा गया है कि प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध आगत पंजी में संशोधित पत्र का उल्लेख है। उन्हें बिना कोई ठोस साक्ष्य के आरोपित किया गया एवं दण्ड दिया गया है। सिर्फ पत्र समय पर नहीं मिलने के कारण 204 आवास स्वीकृत हुआ। गढ़वा जिला के पाँच प्रखण्ड के द्वारा मूल लक्ष्य के अनुरूप आवास स्वीकृत किया गया पर दण्ड सिर्फ उनको मिला। रमकंडा प्रखण्ड के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य 207 का पूरा पैसा 2015 में आ गया, लेकिन उनका स्थानांतरण 2014 में हो गया। उनके स्थानांतरण के बाद राशि उपलब्ध होने पर तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने भुगतान किया एवं आवास भौतिक रूप से पूर्ण हो गया। पुनः वित्तीय वर्ष 2013-14 के योजना पंजी में 197 लाभुक का नाम दर्ज है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। अतः उनके द्वारा समर्पित तथ्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आरोपित दण्ड को विलोपित की जाय।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-464, दिनांक 17.05.2016 में साफ लिखा गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व ही 120 लाभुक का आवास स्वीकृत किया गया एवं भुगतान किया गया। यह आवास उनके पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री महावीर प्रसाद के द्वारा किया गया है। वही अभिलेख प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह जवाबदेही प्रखण्ड के सहायक, नाजिर एवं प्रधान सहायक का है। उनके द्वारा स्वीकृत सभी आवास के अभिलेख प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध है। जो अभिलेख उन्होंने स्वीकृत नहीं किया, उस अभिलेख के नहीं मिलने का दण्ड उनको दिया गया, जो कि न्यायसंगत नहीं है।

3. योजना सहायक के द्वारा योजना पंजी में लिखी गयी राशि एवं नाजिर के द्वारा कैश बुक में लिखी गयी राशि में अंतर है। साथ ही नाजिर ने कैश बुक में योजना संख्या एवं वित्तीय वर्ष का जिक्र नहीं किया है। इस कारण मानवीय भूल से एवं सही से मिलान नहीं होने के कारण 28 लाभुक का भुगतान अधिक हुआ। उनके कार्यकाल में कभी भी यह बात नहीं आयी कि अधिक भुगतान हुआ है। उनके स्थानांतरण के लगभग 2 वर्ष के बाद यह मामला उठा एवं संज्ञान में आते ही उन सभी लाभुक को नोटिस निर्गत किया गया, उनके बाद के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा। इस तरह जो अधिक राशि का भुगतान हो गया था, उन्हें पुनः प्रखण्ड में जमा करा दिया गया। अतः इस आरोप का कोई आधार ही नहीं है एवं इसके लिए उनको दण्ड दिया गया है। अतः उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर लगाये दण्ड पर पुनः विचार करने की कृपा की जाय। रमकण्डा प्रखण्ड के प्रधान सहायक श्री लव कुमार ने इसी आरोप हेतु आयुक्त, पलामू के कार्यालय में अपील दायर किया एवं उनको प्रदत्त दण्ड विलोपित का आदेश दिया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपील आवेदन के साथ किसी प्रकार का साक्ष्य/अभिलेख समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कि उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार किया जाय और उनके कथन की सत्यता साबित हो सके। उनके द्वारा अपील आवेदन में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान अपने बचाव बयान एवं समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में रखा गया था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि योजना सहायक द्वारा योजना पंजी में लिखी गई राशि एवं नाजिर द्वारा कैश बुक में लिखी गई राशि में अंतर है। सही मिलान नहीं करने के कारण 28 लाभुकों को अधिक भुगतान हुआ है। दो वर्ष पश्चात् मामला संज्ञान में आने पर बाद के

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित लाभुकों से इस राशि को प्रखण्ड कार्यालय में जमा कराया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सुबोध कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा द्वारा समर्पित अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5076(hrms), दिनांक 11.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोक के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUBODH KUMAR 110081163092	श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-147/20, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा संप्रति- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज सदर द्वारा समर्पित अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5076(hrms), दिनांक 11.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोक के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
